

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— पौखार — गेंवली (भिलंग)

तहसील—घनसाली, जिला—टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 5.950 है। आरक्षित वन भूमि 0.455 है। सिविल सोयम भूमि 0.00 है। वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.455 है। वन भूमि का अर्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पौखार—गेंवली द्वारा दिनांक—१५/१२/११ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्रित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया¹ कि ग्राम पौखार — गेंवली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अर्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत की ओर
नोटाम-क्षयदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विक्रिक उक्त प्रपत्र प्रति भूमि पर दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

अस्था अधिनियम
घनसाली (दिनांक)
अस्था अधिनियम
घनसाली (दिनांक)


१३० ५/१२/२०१७ को गाम द्वारा की सम्पत्ति के बारे का जामा - जनपद इंद्री गढ़वाल के कुलगाँव

विकास श्वेता दिंकरना जे पोका - गोपनीय
गोपनीय का नाम निर्गाँव का

जामा - गोपनीय

दिनांक ५/१२/२०१७

संख्या	नाम	इस्ताहर
१	उदयसेंद	स्वाहर
२	उमरसेंद	स्वाहर
३	दिवानसेंद	दिवानसेंद
४	दीपनसेंद	दीपनसेंद
५	जीतनसेंद	जीतनसेंद
६	वानसेंद	वानसेंद
७	जहोसेंद	जहोसेंद
८	मानवानसेंद	मानवानसेंद
९	समनसेंद	समनसेंद
१०	उदयसेंद	उदयसेंद
११	शिवलिंग	शिवलिंग
१२	शिवलिंग	शिवलिंग
१३	दीवरिंद	दीवरिंद
१४		



प्रपत्र 23.1

दिनांक ०५।१२।२०२३ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत विभाग (मिलंगा)

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
१-	मुलायालेद रावत ३० अमृतनगर सरकारी शास्त्री	
२-	उत्तम सिंह रावत - ग्राम पंचायत विभागीय रावत	
३	पन्द्रहरासीद खनार २००२ संघीय रावत जवली	
४	सुरेन्द्र सिंह रावत श्री करारिह - पालवार	
५-	प्रताप सिंह भैंसराजवां विद्यार्थी विद्यार्थी भैंसराजवां	
६.	सचागंजेद बाट ३० अमृतनगरीय पवार जवली	
	नीमुरी ३० अमृतनगरी	
	मुष्पन्न सिंह ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	रामपाल ३० अमृतनगरी ३० अमृतनगरी	
	जालेन्द्र अहर - नारायण विह - पोखरा	
	नोहर सिंह ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	सुन्दर लहड़ रावत ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	पंडुज सिंह - श्री लोबन सिंह नीमी पालवार	
	रामलाल ३० अमृतनगरी - जोधवा	
	सुन्दर लहड़ रावत ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	दिलपाल ३० अमृतनगरी ३० अमृतनगरी	
	रामेश्वर ३० अमृतनगरी	
	अर्जुन सिंह ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	अर्जुन सिंह ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	अर्जुन सिंह ३० अमृतनगरी खेला जवली	
	सहरालाल ३० अमृतनगरी - पोखरा	
	रोहिनी रावत ३० अमृतनगरी - पोखरा	
	मिलानवा ३० अमृतनगरी - पोखरा	

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.00 किमी)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 5.950 है० आरक्षित वन भूमि, ०.५५५ है० सिविल एवं सायेम वन भूमि, ०.०० है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल ६.५०५ है० वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्रों में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील—घनसाली) की दिनांक—१३.०९.११.४. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लोकेश सिंह उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुरूप है—

- | | | |
|--|--|---------------|
| 1. श्री <u>दीप्ति छाट्ठे वीरेन्द्र</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष। |
| 2. श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी | | सदस्य। |
| 3. श्री <u>शश्वत भट्ट</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, घनसाली। | सदस्य / सचिव। |
| 4. श्री <u>विजय मिश्र</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख भिलंगना। | सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु परियोजना हेतु ६.५०५ है० वन भूमि का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु ६.५०५ है० वन भूमि वनभूमि अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग घनसाली, उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

पत्रांक :— / तददिनांक।
प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली ठिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक—०३/०३/१४ को जनपद ठिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार – गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रमेश कौर	उपजिलाधिकारी	
2	प्रभागीय वनाधिकारी, (एफ.एम.) पी.एम.ए.	उपजिलाधिकारी	
3	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलंगना	

(केदार बत्त्वाल)
सदस्य
जिला पंचायत/जिला योजना शिक्षिति
ठिहरी गढ़वाल

क्षेत्र पंचायत
भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)

मंश सिंह नेगी
सदस्य
पंचायत ज्यूष्यमा
भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)
विभागीय विभागीय विभागीय
सदस्य
पंचायत सदस्य
वार्ड 17 गवाहार
विभागीय विभागीय विभागीय
भिलंगना (टिहरी गढ़वाल)

Form-1
For linear projects
Government of India
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

46 /~~XXII~~ - 24 (2012-2018)

Dated 04.05.2018

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoFF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 6.405 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for **Construction of Pokhar-Gewali (Bhilang) Motor Road.** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Pokhar and Gewali village (s) In Ghansali Tehsil.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.405 Hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are included as annexure to annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.




44
S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal

Signature
(.....)
(.....)
District Collector,
Tehri Garhwal

It is further certified that Minutes of Meeting of Construction of Pokhar-Gewali (Bhilang) Motor Road scheme regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 6.405 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

communities.



(केदार बत्त्वाल)

जिला प्रदायत् सदस्य
जेला प्रदायत् जिला दायिना सोशलि
टिहरी गढ़वाल।

जिला समाज जनकल्यासागर असेंट्रल कॉम्प्लीक्स
ठिरहाटीगढ़खाला

प्रतिहस्ताक्षरित

~~प्रभासार्थी बनाकियररी,~~
~~दिल्हरी वनप्रस्थमाग,~~
~~वर्दुनिल्हरी~~
~~फ़िल्हरी।~~

अधिशासा संग्रहालय असम
अ०ख०, ला० निपुण बनसपाली

प्रतिहस्ताकृति

जिलाधिकारी
ठिहरी गढ़वाल

(जिला अधिकारी,)
टिहरी गढवाल |

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT –TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs.(सोनिका)..... I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Bhilangana Block area measuring 6405 hect. for the construction of **Construction of Pokhar-Gewali (Bhilang) Motor Road.** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..New...Tehri

Dated: 04/05/2018



(सोनिका)

जिला अधिकारी

टेह्री गढ़वाल

District Collector-cum-Chairman
District Level Committee